<u>अनुस्मारक</u>

<u>संख्या :-1097(1)/आठ–1–24–11 बजट/2018 टीसी</u>

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
मेरठ/रायबरेली/गाजियाबाद/बरेली/बांदा/उन्नाव–शुक्लागंज/झांसी/अयोध्या/फिरोजाबाद/मुजफ्फरनगर/उरई/बुलन्दशहर/खुर्जा/बागपत–बड़ौत–खेकडा एवं आजमगढ़ विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक :03 जनवरी, 2024**

विषयः सम्पत्तियों के अन्तरण पर विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1097/आठ–1–23–11 बजट/2018 टीसी दिनांक 18.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से वर्तमान समय तक 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में प्राप्तियों का विवरण/धनराशि का मांग पत्र एवं पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है) शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, किन्तु वांछित सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वांछित सूचना शासन को <u>तत्काल</u> उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

GO-S.G-R